न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

अपील प्र0 क0 1736–एक/2001 विरूध्द आदेश दिनांक 22–08–01 पारित आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 180/1997–98 अपील.

1– दीनानाथ केशरवानी तनय लखनलाल केशरवानी
लाल मुकाम दादर, तह0 हुजूर, जिला रीवा
2– शिवकुमार मिश्र तनय जगतदेव प्रसाद मिश्र
नि0 ग्राम धवैया, तह0 हुजूर, जिला रीवा

---- अपीलार्थीगण

विरूध्द

मध्यप्रदेश शासन

-- उत्तरवादी

श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक – आवेदकगण
श्री डी0के0 शुक्ला, पैनल अभिभाषक– अनावदेक शासन

आदेश

(आज दिनांक 1–5– 2014 को पारित)

यह अपील का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अन्तर्गत आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 180/1997–98 अपील में पारित आदेश दिनांक 22–08–2001 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर, जिला रीवा व्दारा संहिता की धारा 247(7) के

अन्तर्गत प्रकरण पंजीबध्द किया और अपीलार्थीगण को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया। आवश्यक कार्यवाही के पश्चात अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 27–6–98 व्दारा अपीलार्थीगण को 400 ट्रक सोलिंग पत्थर के अवैध उत्खनन का का स्टॉक पाया गया। अतः अपर कलेक्टर ने अपीलार्थीगण पर अवैध उत्खनित खनिज के बाजार मूल्य रू. चार लाख की दुगनी राशि रू. आठ लाख का अर्थदण्ड आरापित कर जप्त सामग्री राजसात करने क आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत अपील आयुक्त, रीवा संभाग ने अपने आदेश दिनांक 22–8–01 द्वारा खारिज की। अतः अपीलार्थीगण व्दारा यह व्दितीय अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है।

3/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। अपीलार्थीगण के अभिभाषक का तर्क है कि अपीलार्थीगण व्दारा किसी प्रकार का अवैध उत्खनन नहीं किया गया है। पटवारी एवं खनिज निरीक्षक के कथनों से भी अपीलार्थीगण व्दारा अवैध उत्खनन करना प्रमाणित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अवैध उत्खनन स्थल की जॉच नहीं की गयी और ना ही माप की गयी है। इस संबंध में उनका यह भी तर्क है कि जिस भूमि पर अवैध उत्खनन होना पाया गया उसके अभिलिखित भूमिस्वामियां को ना तो पक्षकार बनाया गया और न ही उन्हें सूचना दी गयी। अतः उन्होंने अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया।

4/ उत्तरवादी शासन के अभिभाषक का तर्क है कि खनिज का अवैध उत्खनन कर 400 ट्रक सोलिंग का स्थल निरीक्षण के दौरान स्टॉक पाया गया। अपर कलेक्टर ने विधिवत कारण बताओ सूचनापत्र अपीलार्थीगण को तामील किये गये हैं, किन्तु अपीलार्थीगण व्दारा ऐसी कोई साक्ष्य मौखिक या दस्तावेजी प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे प्रश्नाधीन उत्खनन को वैध होना मान्य

किया जा सके। इसके विपरीत शासकीय साक्षी खनिज निरीक्षक एवं पटवारी की साक्ष्य से अवैध उत्खनन करना प्रमाणित है। अतः उन्होंने विदतीय अपील में हस्तक्षेप का पर्याप्त आधार नहीं होने से अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ अपर कलेक्टर के अभिलेख से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर व्दारा खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण पंजीबध्द कर अपीलार्थीगण को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किये हैं। अपीलार्थी दीनानाथ तनय लखनलाल व्दारा कारण बताओ सूचनापत्र का जबाव भी अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने उत्खनन से इन्कार नहीं किया है, बल्कि यह दर्शाया है कि अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत स्वीकृत क्षेत्र में से 400 मे.टन पत्थर निकाला था जिसका स्टॉक ख.नं. 1344/2, 1344/3 एवं 1344/3/2 ग्राम दादर में था जिसकी पूर्ण रायल्टी जिला कार्यालय खनिज शाखा में जमा है व खनिज शाखा व्दारा स्टॉक का निरीक्षण कर रायल्टी का असेसमेंट किया जा चुका है, किन्तु अपीलार्थी व्दारा अपने उक्त कथन के समर्थन में कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करना अभिलेख से विदित नहीं होता। अपीलार्थी व्दारा जबाव के साथ प्रस्तुत दस्तावेज से विदित होता है कि अपीलार्थी को खसरा नं0 1326, 1327, 1344/3 एवं 1375/1 कुल रकबा 8.81 का 5–1–94 को एक वर्ष के लिये उत्खनिज पट्टा प्रदत्त किया गया था, किन्तु अपीलार्थीगण व्दारा भूमि क0 1344/2 3.00 एकड़, 1344/3/1 1.17 तथा 1344/3/2 1.83 से 400 टक सोलिंग का अवैध उत्खनन करने से बाजार मूल्य से दुगनी राशि अर्थात आठ लाख रूपये शास्ती आरोपित की गयी है जिसे साक्ष्य के अभाव में अपीलार्थी को स्वीकृत क्षेत्र से उत्खनन करना नहीं माना जा सकता। शासन की ओर से अपर कलेक्टर व्दारा खनिज निरीक्षक अनरूध्द सिंह तथा हल्का पटवारी सत्यभान के कथन लिपिबध्द किये हैं जिन्होंने प्रश्नाधीन अवैध उत्खनित खनिज के स्टॉक

की पुष्टि की है। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष में व्दितीय अपील में हस्तक्षेप का पर्याप्त आधार नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील खारिज की जाती है। आयुक्त का आदेश दिनाक 22–8–01 तथा अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 27–06–98 यथावत रखे जाते हैं।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0